

राजस्थान सरकार
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग

क्रमांक: प.2(243)/डीओआईटीएण्डसी/2022/00506/2023

जयपुर, दिनांक: 15/02/2023

आदेश

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ.15(1)एफ.डी./रूल्स/2017 दिनांक 30.10.2017, 09.12.2017 एवं स्पष्टीकरण क्रमांक एफ.14(88)एफ.डी./रूल्स/2008 दिनांक 12.01.2018 के अनुसरण में निम्नांकित सूचना सहायकों को राजस्थान कम्प्यूटर राज्य एवं अधीनस्थ सेवा में कार्यग्रहण तिथि से 09 वर्ष की निरन्तर संतोषजनक सेवा पूर्ण करने पर वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना क्रमांक F.15(1)FD/Rules/2017 Pt. दिनांक 30.05.2022 के अनुसार उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या 05 में उल्लिखित दिनांक से सूचना सहायक के पद की प्रथम आश्वासित कैरियर प्रगति (ए.सी.पी.) पे मैट्रिक्स के लेवल-10 में स्वीकृत की जाती है।

क्र. स.	मेरिट नं.	सूचना सहायक का नाम श्री/सुश्री/श्रीमती	सूचना सहायक के पद पर प्रथम कार्यग्रहण दिनांक	प्रथम ए.सी.पी. देय तिथि	प्रथम आश्वासित कैरियर प्रगति (ए.सी.पी.)			विशेष विवरण
					पे-मैट्रिक्स एवं मूल वेतन	ए.सी.पी. दिये जाने पर वेतन वृद्धि पश्चात मूल वेतन	ए.सी.पी. दिये जाने पर पे-मैट्रिक्स एवं मूल वेतन	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1736	आकाश शर्मा	30.09.2013	30.09.2022	L-08 33300 (C-9)	L-08 34300 (C-10)	L-10 34800 (C-2)	
2	2081	गणेश शर्मा	25.09.2013	25.09.2022	L-08 33300 (C-9)	L-08 34300 (C-10)	L-10 34800 (C-2)	9 वर्ष की एपीएआर जांच के आधार पर देय
3	3866	विष्णु गेहनोलिया	23.09.2013	23.09.2022	L-08 33300 (C-9)	L-08 34300 (C-10)	L-10 34800 (C-2)	9 वर्ष की एपीएआर जांच के आधार पर देय

* उपरोक्त क्रम संख्या 2,3 पर अंकित कार्मिकों के गत सात वर्ष में से पूरे 07 वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं होने पर नियमानुसार गत 09 वर्ष में से 07 वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन की उपलब्धता के आधार पर प्रथम आश्वासित कैरियर प्रगति (ए.सी.पी.) इस शर्त पर स्वीकृत की जाती है कि भविष्य में उक्त अवधि के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन में प्रतिकूल प्रविष्टि होने पर प्रकरण पुनः खोला जाकर तदनुसार संशोधित कर दिया जावेगा।

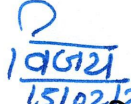
* इस स्वीकृति व वेतन निर्धारण की प्रविष्टि सम्बंधित कार्मिक की सेवा पुस्तिका में आवश्यक रूप से की जावे।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।


(विवेक कुमार)
प्रभारी अधिकारी (संस्थापन)

प्रतिलिपि: सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. निजी सचिव, आयुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, जयपुर।
2. प्रभारी अधिकारी, वेबसाइट, वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु।
3. आहरण एवं वितरण अधिकारी, सू. प्रौ. एवं संचार विभाग, जयपुर।
4. प्रशासनिक अधिकारी, भुगतान शाखा, सू. प्रौ. एवं संचार विभाग, जयपुर।
5. सम्बंधित सूचना सहायक, सू. प्रौ. एवं संचार विभाग, जयपुर।
6. निजी/रक्षित पत्रावली।


15/02/2023
अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी